झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 041000413/जे.डी.ए.–तलपट मानचित्र–(2013–14) दिनांक : 05 मार्च, 2014

श्री गुरजीत सिंह चावला पुत्र स्व. श्री सर्वजीत सिंह चावला,
वास्ते राधे–राधे डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स,
निवासी–सर्वनगर, सी.पी.मिशन कम्पाउण्ड, झांसी।

आपके पत्र दिनांक 04.10.2013 मानचित्र सं. 041000413 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट मानचित्र को आराजी नं0 538 & 539 मौजा रूंदपंचमहल तथा 2534 मौजा झांसी खास के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत, मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मागा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है –
    - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गो के लाभार्थियों को उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होगें, के माध्यम से किया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
13. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अधीन है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियंता ..... को प्रेषित।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी